8

16/07/19 वादी एवं वादी के अधिवक्ता को एक समय पर आवाज लगवायी गई परन्तु न्यायालय में कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादी का वाद न्यायाधीश एवं अधिनियम 2011 में खारिज किया जाता है। प्रकरण के समझौता होने नम्बर से मान्य हो गया बाद एकमिस प्रकरण है व नष्ट हो।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Scanned by CamScanner